कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–5/1253/2023/10–11/1693 भोपाल, दिनांक 20-3-24

प्रेषकः–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/155493/2022)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/6-MPR 019/2023 BHO दिनांक 18.12.2023

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The concerned DFO shall submit status of road as per approved Working Plan.	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण बालाघाट ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग प्रचलित कार्य आयोजना में वनमार्ग के रूप में उल्लेखित नहीं है, परन्तु प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट में अंकित है एवं स्थल पर विद्यमान भी है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।
2	The total area of various proposals is more than 40.00 ha in the same division and with same User Agency. the SIR of CF/CCF for the same shall be submitted.	वन संरक्षक बालाघाट द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.01.2024 से अवगत कराया है कि RCPLWE योजना के 24 प्रकरण बालाघाट जिले में प्रचलित हैं, जिसमें से कोई प्रकरण 40.00 हेक्टेयर से अधिक वनक्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः वन संरक्षक की SIR रिपोर्ट की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
3	The DFO/User Agency shall submit separate proposal wise CA schemes and KML files with proper demarcation.	वन मण्डलाधिकारी ने अवगत कराया है कि प्रकरण में कलेक्टर बालाघाट के आदेश दिनांक 05.12.2022 द्वारा ग्राम टेकाड़ी खसरा क्रमांक 356 में से 8.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है, जिस पर वैकल्पिक वृक्षारोपण तैयार कर KML file पोर्टल में अपलोड कर दी गई है।

4	The CA site needs to be changed. DFO should ensure that the proposed CA area is free from any encroachment and also submit a detailed plan with their estimates for protection of CA areas.	वन मण्डलाधिकारी ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र को बदलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र अतिक्रमण से मुक्त है और वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रावधान योजना प्राक्कलन में किया गया है।
5	The proposed road is falling in Tadoba Indrawati Tiger Corridor. Comments of CWLW shall be submitted.	प्रस्तावित मार्ग टाडोबा–इंद्रावती टाइगर कॉरीडोर के अन्तर्गत होने के कारण मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)से अभिमत चाहा गया। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) ने अपनी अशसकीय टीप दिनांक 13.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अभिमत प्रदान किया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रकरण में राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुमति आवश्यक होगी। इस संबंध में आवेदक संस्थान को वन्यप्राणी अनुमति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने हेतु लेख किया गया है। अतः प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति में वन्यप्राणी अनुमति प्राप्त करने की शर्त अधिरोपित करने का अनुरोध है।

अतः आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

15.03.24

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1253 / 2023 / 10–11 / 1694

भोपाल, दिनांक 20-3-24

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण बालाघाट, मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बालाघाट मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

15.03.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.

दूरभाष न.–(07632-248414
email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 127 बालाघाट, दिनांक 04/01/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध)
भोपाल (म.प्र.)

विषय:– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत कांद्रीकला से कटटीपार तक मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देन बाबत।
(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/155493/2022)

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / एफ–5 / 1253 / 2023 / 10–11 / 5361, 5362 दिनांक 21.12.2023

---00---

निवेदन है, कि विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई वांछित जानकारी आवेदक विभाग–महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक–1, बालाघाट द्वारा उनके पत्र क्रमांक / 2846 / [illegible] / मप्रग्रासविप्रा / 2023 दिनांक 24.12.2023 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। (उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न) [illegible] प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 05 बिन्दुओं पर जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The concerned DFO shall submit status of road as per approved Working Plan.	वनमंडल में प्रचलित अनुमोदित कार्य आयोजना में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग, वनमार्ग के रूप में उल्लेखित नहीं है। परन्तु उक्त प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपो शीट में दर्शित है, एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।
2	The total area of various proposals is more than 40.00 ha in the same division and with same User Agency, the SIR of CF/CCF for the same shall be submitted.	--
3	The DFO/User Agency shall submit separate proposal wise CA schemes and KML files with proper demarcation.	कलेक्टर जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक / [illegible] / 0032 / अ–59 वर्ष 22–23 में पारित आदेश दिनांक [illegible] 2022 द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (सरकार घास चारा) ग्राम–टेकाड़ी, प.ह.न. 42, तह. कटंगी, जिला बालाघाट के खसरा न. 356 में कुल रकबा 22.296 हे0 में से [illegible] हेक्टेयर (01 प्रस्तावों के लिए समेकित (1) FP/MP/Road/155493/2022 रकबा 7.47 हे0 भूमि की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना 01 प्रस्ताव के लिये बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है। उपर्युक्त 01 प्रस्ताव अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की के.एम.एल. फाईल प्रस्ताव में संलग्न है।
4	The CA site needs to be changed. DFO should ensure that the proposed CA area is free from any encroachment and also submit a detailed plan with their estimates for protection of CA areas.	प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र को बदलने की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र अतिक्रमण से मुक्त है। और वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रावधान योजना प्राक्कलन में किया गया है।

E:\Computer 2\DM\Project\RCPLWE Road\8-Kandrikala to Kattipar 7.47 hac\Memo Letter.docx

[illegible signature] 05/01/24

5	The proposed road falls under Tadoba-Indrawati Tiger Corridor. Thus comments of CWLW shall be submitted.	आवेदक विभाग/संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रस्तावित सड़क, टाडोबा–इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर, के अन्तगत नही आती है। तथा उक्त कॉरिडोर बालाघाट जिले अन्तर्गत क्षेत्र से नही गुजरता है। अर्थात CWLW के अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट
वनमंडल अधिकारी
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

पृ. क्रमांक/मा0चि0/ 128
बालाघाट दिनांक 04/01/2024

प्रतिलिपिः–

1. वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र जो आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित हैं, के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
3. आवेदक विभाग– महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक–1, बालाघाट, की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भांकित संबंध में आपके पत्र क्रमांक/2846/तक/मप्रग्रासप्रा/2023 दिनांक 24.12.2023 द्वारा प्रेषित जानकारी के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट
वनमंडल अधिकारी
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

E:\Computer 2\DM\Project\RCPLWE Road\8-Kandrikala to Kattipar 7.47 hac\Memo Letter.docx

कार्यालय महाप्रबंधक
म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रं.–1, बालाघाट
फोन नं.–07632 240334 ई मेल–gm_bgtpiu1@rediffmail.com

पत्र क्र. 2846 / तक / मप्रग्रासप्रा / 2023 बालाघाट दिनांक 24 / 12 / 2023

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग पहुँच निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (आनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155493/2022)

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का प.क्रं. एफ–5 / 1253 / 2023 / 10–11 / 5361 भोपाल दिनांक 21.12.23

............00................

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के तहत 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। उक्त संबंध में संबंधित वांछित जानकारियों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The concerned DFO shall submit status of road as per approved Working Plan.	प्रस्तावित मार्ग, वनमार्ग के रुप में उल्लेखित है। उक्त प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपो शीट में भी दर्शित है, एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।
2	The total area of various proposals is more than 40.00 ha. in the same division and with same User Agency. the SIR of CF/CCF for the same shall be submitted.	वनमंडल से संबंधित है।
3	The DFO/User Agency shall submit separate proposal wise CA schemes and KML files with proper demarcation.	कलेक्टर जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र / 0032 / अ–59 वर्ष 22–23 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (छोटे झाड का जंगल व घांस) ग्राम– टेकाडी, प.ह.न. 42, तह. कंटगी, जिला बालाघाट के खसरा नं. 356 में रकबा 7.47 हे0 (01 प्रस्ताव के लिए समेकित 1. FP/MP/Road/155493/2022 रकबा 7.47 हे0 भूमि की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है। उपर्युक्त प्रस्ताव अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की के.एम.एल. फाईल प्रस्ताव में संलग्न है।
4	The CA site needs to be changed. DFO should ensure that the proposed CA area is free from any encroachment and also submit a detailed plan with their estimates for protection of CA areas.	प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र को बदलने की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र अतिक्रमण से मुक्त है। और वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रावधान योजना, प्राक्कलन में किया गया है।
5	The proposed road is falling in Tadoba-Indrawati Tiger Corridor. comments of CWLW shall be submitted.	प्रस्तावित सड़क, टाडोबा–इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर, के अन्तर्गत नही आती है। तथा उक्त कॉरिडोर बालाघाट जिले अन्तर्गत क्षेत्र से नही गुजरता है। अर्थात CWLW के अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

REDMI NOTE 5 PRO

पृ. क्र. 2847/तक/मप्रग्रासविप्रा/2023 बालाघाट, दिनांक 24/12/2023

प्रतिलिपीः--

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय (भू--प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य वन संरक्षक महोदय बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ ।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश – 481001

Email- ccf.bgt@mp.gov.in, दूरभाष : 07632–241201 फैक्स : 07632–240268

क्रमांक / तक.कक्ष / 28 बालाघाट, दिनांक : 05/01/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(कक्ष भू–प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

विषय :– बालाघाट जिले के अंतर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) योजना के अंतर्गत सड़क मार्गो में प्रभावित वनभूमि उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :– आपसे दूरभाष पर प्राप्त निर्देश दिनांक 05.01.2024.

–0–

निवेदन है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत बालाघाट जिले के अंतर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना RCPLWE योजना के तहत वनभूमि से गुजरने वाले सड़क मार्ग के 24 प्रकरणों में से किसी भी प्रकरणों में आवेदित वनभूमि 40.00 हेक्टेयर से अधिक प्रभावित नहीं हो रही है, अत्एव इन प्रकरणों में CF/CCF के स्थल निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

for वन संरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.
05/01

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.

दूरभाष नं.-(07632-248414)
email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 1803 बालाघाट, दिनांक 05/03/2024

प्रति,

महाप्रबंधक,
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक– 1, बालाघाट
जिला– बालाघाट (म.प्र.)

विषयः– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत कांद्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/155493/2022)

संदर्भ :– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / मा.चि–1 / WL/LM-13/1393, 1394 दिनांक 14.02.2024 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 577, 578 दिनांक 19.01.2024

—00—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भांकित पत्रों (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में लेख है, कि विषयांकित प्रस्तावित परियोजना में पश्चिम लांजी परिक्षेत्र अन्तर्गत प्रभावित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 649, 650, 655, 660, 661 में सड़क मार्ग की कुल लम्बाई 8300 मीटर रकबा 7.47 हे0 में से लगभग लम्बाई 3500 मीटर रकबा 3.15 हे0 वनक्षेत्र कान्हा–नागझीरा–ताडोबा–इन्द्रावती टाईगर कॉरिडोर के अन्तर्गत आता है। जिसमें कार्यालयीन अभिलेखों में अखिल भारतीय बाघ गणना वर्ष 2022 के अनुसार कक्ष क्रमांक 649, 650, 655, 661 में बाघ की उपस्थिति दर्ज है।

अतएव उपरोक्त विषयांकित प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित वनभूमि में वन एवं वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु Mitigation Plan, Wild life Clearance के लिये Parivesh Portal के माध्यम से प्रस्तुत करें।

DM-F
P.C.C.F. (W.L.)
(M.P.)
6/3/24

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

पृष्ठा. क्रमांक / मा.चि. / 1804 बालाघाट, दिनांक 05/03/2024

प्रतिलिपि :–

(1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र. भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(3) वनसंरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित संबंध में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

3002
7/3/24

E:\Computer 2\DM\Project\RCPLWE Road\8-Kandrikala to Kattipar 7.47 hac\Memo Letter.docx

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com - 07632240334

पत्र क्र. 653 /तक/मप्रग्रासप्रा/2024 बालाघाट दिनांक 13/3 /2024

प्रति,

वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.)

वनमंडल बालाघाट

विषय :– बालाघाट जिले में लांजी तहसील अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. (RCPLWE) के तहत कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रभावित वनभूमि रकबा 7.47 हेक्टेयर की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की शासन स्वीकृति प्रदान करने बाबद्।

ऑन लाईन प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/ROAD/155493/2022

संदर्भ :– आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./1803 बालाघाट दिनांक 05.03.2024

—00—

विषयांतर्गत जिले में लांजी तहसील अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के तहत कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की शासन स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेब पोर्टल www.forestsclearance.nic.in पर ऑन लाईन आवेदन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/ROAD/155493/2022 भरा जाकर प्रस्तुत किया गया था।

उक्त प्रकरण में संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशो के तहत वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वेब पोर्टल www.forestsclearance.nic.in पर ऑन लाईन आवेदन प्रस्ताव क्रमांक/WL/MP/ROAD/465890/2024 में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

पृष्ठां. क्र. 654 /तक/मप्रग्रासविप्रा/2024 बालाघाट, दिनांक 13/03/2024

प्रतिलिपि :–

(1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

(2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

(3) वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

18/03/24

Cost Benefit Analysis

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में RCPLWEA योजनांतर्गत जिला बालाघाट के लांजी विकासखंड़ में पैकेज क्रमांक एम.पी.01812 के कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग लंबाई 9.70 किमी. का निर्माण/उन्नयन कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत किया जाना प्रस्तावित है। उक्त मार्ग निर्माण में 7.47 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। सडक के निर्माण में किसी भी प्रकार का कार्बन का उत्सर्जन नही होना है, जिससे पर्यावरण को क्षति होगी। सड़क के निर्माण कार्य में कान्हा नेशनल पार्क के बाहर से प्लांट से डामर का मटेरियल लाया जा कर बिछाया जावेगा। अतः Cost Benefit Analysis की आवश्यकता नही है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

<u>Annexure 1</u>

Details of the Projects user of lands of Protected Areas / Tiger Reserve / Tiger Corridor and of areas falling within the Ecologically sensitive zone or radius of 10 Km of such PAs*

S. No.	Name of the Project and State	Agenda Item no. and date of meeting SBWL / NBWL	Protected area / ESZ involved (Name)	Area approved in PA/ESZ for use/ diversion (Ha)	Conditions imposed by SBWL / NBWL	Date of completion of work	Status of compliance of conditions	Remarks
I	Kandrikala to Kattipar FP/MP/ROAD/155493/2022	-	Kanha - Nagjira Indrawati - Tadoba Tiger Corridor	3.15	No condition imposed	30.12.2024	-	-

General Manager
MPRRDA, PIU-1 Balaghat

विषयः– **बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/155493/2022)**

----0----

पूर्व पृष्ठ से ....

DFO. S. Balaghat ने पत्र क्र/127 दि 4/1/24 द्वारा प्रकरण में S01 के पत्र दि 18/12/23 द्वारा चाही गई जानकारी प्रस्तुत की है अतः S01 को भेजने हेतु प्रस्ताव नस्ती हेतु प्रस्तुत है।

माचि 1

5/1/24

APCCF (lm)

P.C.C.F. (W.L.) (M.P.)
8/1/24

Roads 5 से Tadoba-Andhari Tiger Corridor corridor के संबंध में कृपया अभिमत देवें।

PCCF (Wildlife) & CWLW, MP

(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध), भोपाल, म.प्र.

UO No:- 25
05/01/2024

क्रमांक 448 दिनांक 10/1/24

1A

उक्त प्रकरण में वन मण्डल अधिकारी दक्षिण बालाघाट सामान्य वन मण्डल द्वारा पत्र क्रमांक माचि / 1803–1804 दिनांक 05.03.2024 से प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित कांद्रीकला से कट्टीपार मार्ग निर्माण परियोजना में दक्षिण बालाघाट (सामान्य) वनमण्डल के परिक्षेत्र पश्चिम लांजी के वनकक्ष क्रमांक 649, 650, 655, 660 एवं 661 में लम्बाई 8300 मीटर रकबा 7.47 हेक्टेयर प्रभावित हो रहा है, जिसमें से लम्बाई 3500 मीटर रकबा 3.15 हेक्टेयर वनक्षेत्र **कान्हा–नागझीरा–इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर** के अंतर्गत आता है। अखिल भारतीय बाघ गणना वर्ष 2022 के कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उक्त वनकक्षों में से वन कक्ष क्रमांक 649, 650, 655, 661 में बाघों की उपस्थिति दर्ज है।

अतः प्रस्तावित मार्ग निर्माण परियोजना में प्रभावित वनक्षेत्रों में वन एवं वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु भारत सरकार एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा जारी दिशा निर्देश ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु मिटिगेशन मेजर्स प्लान (पैसेज प्लान) वन्यप्राणी अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

विषयः– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/155493/2022)

----0----

पूर्व पृष्ठ से पूर्व पृष्ठ से.......

प्रस्तावित मार्ग कान्हा–नागझीरा–ताडोबा–इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर के अंतर्गत होने से मार्ग निर्माण हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। इस हेतु आवेदक संस्था से परिवेश पोर्टल के माध्यम से आन लाइन आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में वन्यप्राणी अनुमति हेतु आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। वनमण्डल अधिकारी दक्षिण बालाघाट, सामान्य वनमण्डल के द्वारा संदर्भित पत्र से आवेदक संस्था को तदानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया गया है। पत्र की प्रति संलग्न है।

वनमण्डल अधिकारी दक्षिण बालाघाट, सामान्य वनमण्डल के द्वारा प्रेषित उक्त प्रतिवेदन / अभिमत से सहमति व्यक्त करते हुये इस कार्यालय का अभिमत मूल नस्ती सहित संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवयश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(शुभरंजन सेन)
प्रभारी मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी),म.प्र.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), म0प्र0

U.O.No. 248
DATE 13/3/2024

14/03/24